हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्याः टी पी टी –बी (6)–1/2000–।। तारीख शिमला 171002 06/12/2021.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी पी टी–ख(2)–1/96 तारीख 13 दिसम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वर्ग–। (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1. (1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति, (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 है।
	(2)	ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
उपाबन्ध – "क" का संशोधन।	2	हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2004 के उपाबन्ध– "क" में,–
	(क)	स्तम्भ संख्याः 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः– "15 (पंद्रह)" (i) 08 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के लिए; और (ii) 07 परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय/तकनीकी कर्मचारिवृन्द के लिए।"।
	(ख)	स्तम्भ संख्याः 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः–

		"पै बैण्ड ₹15600—39100 जमा ₹ 5400 ग्रेड पे।"।
	(ग)	स्तम्भ संख्याः 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— "(i) तिरपन प्रतिशत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के प्रवर्ग में से नियुक्ति द्वारा; (ii) सैंतालीस प्रतिशत स्थानन/प्रोन्नति द्वारा।"।
	(घ)	स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— (i) 66 $^{2/3}$ % अधीक्षक ग्रेड—I में से स्थानन द्वारा; ऐसा न होने पर, अधीक्षक ग्रेड—I के पद के खाली रहने के अध्यधीन, अधीक्षक ग्रेड—II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तर्दथ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके ; और (ii) 33 $^{1/3}$ % सहायक आयुक्त(तकनीकी) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सहायक आयुक्त(तकनीकी) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सहायक आयुक्त(तकनीकी) और वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक और मोटर यान निरीक्षक के रूप में संयुक्ततः सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार

		तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात **वर्ष** का नियमित सेवाकाल हो; जिसमें सहायक आयुक्त (तकनीकी) के रूप में एक **वर्ष** की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी: परन्तु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित तीन बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:– रोस्टर बिन्दु संख्या — प्रवर्ग पहला और दूसरा — अधीक्षक ग्रेड–I/ II तीसरा — सहायक आयुक्त(तकनीकी) टिप्पणः– रोस्टर प्रत्येक तीसरे बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को विहित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो जाता। तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग में से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो: (I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी: परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पाँच **वर्ष** या उससे कम की सेवा **शेष** रही हो। तथापि

		पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होंगीः परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होनें जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा। स्पष्टीकरण– I:– उपर्युक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यक्ताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी। स्पष्टीकरण– II उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः– 1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल। 3. रोहडू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट। 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. काँगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई

		तहसील का कोटा पाब पटवार वृत। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप–तहसील के गाडा गोसाई, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण–।।ः उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः– (i) उप–मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

		(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे। स्पष्टीकरणः– अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ

		अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी: परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this Department Notification No TPT-B(6)-1/2000-II dated 06-12-2021 as required under article 348(3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TRANSPORT

No TPT-B(6)-1/2000-II dated : Shimla-2 the 06/12/2021.

Notification

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Transport Regional Transport Officer, Class-I Gazetted Recruitment and Promotion Rules, 2004 notified vide this Department notification No TPT-Kha(2)-1/96, dated 13.12.2004, namely:

Short title and Commencement.	1. (1)	These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Transport Regional Transport Officer, (Class-I Gazetted), Recruitment and Promotion(First Amendment) Rules, 2021.
	(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure "A".	2.	In Annexure-"A" of the Himachal Pradesh Department of Transport Regional Transport Officer (Class-I Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2004,-
	(a)	for the existing provisions against Column No. 2, the following shall be substituted, namely:- "15 (Fifteen) (i) 08 earmarked to HAS; and (ii) 07 Ministerial/Technical Staff of Transport Department.".
	(b)	for the existing provisions against Column No. 4,

		the following shall be substituted, namely: "Pay band ₹ 15600-39100+ ₹5400 Grade Pay.".
	(c)	for the existing provisions against Column No. 10, the following shall be substituted, namely: " (i) 53% by appointment from HAS Cadre; and (ii) 47% by placement/promotion.".
	(d)	for the existing provision against Column No. 11 the following shall be substituted, namely:- " (i) 66 2/3 % by placement from amongst the Superintendent Grade-I; failing which by promotion from amongst the Superintendent Gr-II with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, subject to the condition that the post of Superintendent Gr-I remains un-filled; and (ii) 33 1/3 % by promotion from amongst the Assistant Commissioner (Technical) with three years' regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst Assistant Commissioner (Technical) with seven years' regular services or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, combined as Assistant Commissioner (Technical), Senior Motor Vehicle Inspector and Motor Vehicle Inspector which shall also include one year essential service as Assistant Commissioner (Technical):

Provided that for filling up the posts of Regional Transport Officer the following 03 points post based roster shall be followed:-

Roster Point No.	Category
1^{st} & 2^{nd}	Superintendent Grade-I/II
3^{rd}	Assistant Commissioner (Technical)

NOTE:- The roster will rotate after every 3^{rd} point till the representation to all categories is achieved upto the prescribed percentages. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post:

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such areas strictly in

		accordance with his /her seniority in the respective cadre. **Explanation I:-** For the purpose of proviso (I) supra the “term” in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience. **Explanation II:-** For the purpose of proviso(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:- 1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Barmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangara District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalana and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District. 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman,Devgarh, Trailla , Ropa, Kathong, Silh-

		Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District. **Explanation III:-** For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under: i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter. ii) All Stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms. iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category. **(II)** In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules: (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration

		by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. **Explanation:-** The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule -3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder

		or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules: Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged".

By order,

Additional Chief Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग ।

संख्याः टी0पी0टी0 – ख (2)1/96–लूज तारिख 10.4.2008

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के सविंधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की सम्संख्यक अधिसूचना तारीख 13.12.2004 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वर्ग–1(राजपत्रित, नॉन एच. ए. एस.) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रौन्नति प्रथम संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

उपाबन्ध "क" का संशोधन

2. हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2004 के उपाबन्ध "क" में:–

(क) सतम्भ संख्यां–2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः–
10 (दस) पद ।

i) 04 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के लिए चिन्हित ।

ii) 03 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक (अलाईड) सेवा के लिए चिन्हित ।

iii) 03 लिपिक वर्गीय/तकनीकी कर्मचारीवृन्द।

(ख) स्तम्भ संख्या–10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

i) 70 प्रतिशत (40 प्रतिशत जमा 30 प्रतिशत) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा/ हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक (अलाइड) सेवा ।

ii) 30 प्रतिशत विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों से प्रोन्नति द्वारा ।

ग) स्तम्भ संख्या–11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः–

(1) अधीक्षक ग्रेड–1 में से, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, स्थानान्तरण द्वारा । ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड–1 में से, जिनका अधीक्षक ग्रेड–1 और ग्रेड–2 के रूप में चार वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित संयुक्त सेवाकाल हो, जिसमें अधीक्षक ग्रेड–1 के रूप में दो वर्ष का कार्यकाल होना अनिवार्य है, स्थानान्तरण द्वारा, दोनो के न होने पर अधीक्षक ग्रेड –2 में से जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ।

(2) सहायक आयुक्त (तकनीकी) में से, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सहायक आयुक्त (तकनीकी) में से, जिनका सहायक आयुक्त (तकनीकी) और वरिष्ठ मोटर यान निरीक्षक के रूप में संयुक्त रूप से सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, जिसमें सहायक आयुक्त (तकनीकी) के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल होना अनिवार्य है, प्रोन्नति द्वारा पद चक्रानुक्रम (रोटेशन) द्वारा लिपिक वर्गीय और तकनीकी काडर में से, निम्नलिखित नीति से भरे जाएंगेः–

प्रथम पद	लिपिक वर्गीय
द्वितीय पद	लिपिक वर्गीय
तृतीय पद	तकनीकी

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी,.

परन्तु उन सभी मामलों में जिन में कोई व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल(तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/ कॉडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे,.

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों को, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में चिहिंत सेवा जो भी कम हो, होगी,.

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, यहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी, प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझें जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदाधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज 1972 के नियम–3 के उपबन्ध के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विस मैन) रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हौ और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों।

2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ

नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमो के उपबन्धो के अनुसार की गई थी,.

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ठ/ तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (परिवहन),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(Authoritative English Text of this department Notification No.TPT-Kha(2)-1/96 (Loose) dated 10.4.2008 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport.

No. TPT-Kha(2)-1/96 (Loose) Dated 10th April, 2008

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Transport Department Regional Transport Officer Class-I (Gazetted) Non HAS Recruitment & Promotion Rules, 2004, notified vide this department notification of even No. dated 13.12.2004, namely :-

Short title and Commencement. 1.	(i) These rules may be called Himachal Pradesh Transport Department Regional Transport Officer class-I (Gazetted), (Non HAS) Recruitment & Promotion Rules (first amendment), 2006. (ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure 'A' 2.	In Annexure 'A' of the HP Transport Department Regional Transport Officer (Class-I Gazzetted) Non HAS, Recruitment & Promotion Rules, 2004 :-
	(a) for the existing provisions against column No.2, the following shall be substituted, namely :-
	10 (Ten) posts. (i) 04 earmarked to HAS (ii) 03 earmarked to HAS allied services. (iii) 03 Ministerial/ Technical Staff. (b) for the existing provisions against column No.10, the following shall be substituted, namely :- (i) 70% (40%+30%) from HAS/HAS Allied Services. (ii) 30% by way of promotion from amongst departmental officers/officials. (c) for the existing provisions against column No.11, the following shall be substituted, namely :-
	By transfer from amongst the Supdt. Grade-I with 3 years regular service or regular combined with continuous ad hoc service rendered if any, in the grade, failing which by transfer from amongst the Supdt. Grade-I with 4 years regular service or regular combined with continuous ad hoc service rendered, if any, as Supdt. Grade-I and Grade-II out of which 2 years must be as Supdt. Grade-I failing both by promotion from amongst the Supdt. Grade-II with 5 years regular service or regular combined with continuous ad hoc service rendered, if any, in the grade. 2. By promotion from amongst the Assistant Commissioner (Technical) with five years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Assistant Commissioner (Technical) with seven years regular service or regular combined with continuous ad hoc service rendered, if any, combined as Assistant Commissioner (Technical) and Senior Motor Vehicle Inspector out of which 3 years service must be as Assistant

	Commissioner (Technical). The post will be filled up by rotation from amongst Ministerial and Technical cadre in the following manner :- First : Ministerial. Second : Ministerial. Third : Technical. 1. In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder posts, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the ad-hoc appointment/promotion in the feeder category had bee made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules. Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration : Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less; Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. **Explanation : -**The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-serviceman (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Service) Rule, 1985 and having been given benefit of seniority thereunder. 2. Similarly, in all cases of confirmation continuous ad-hoc service rendered on the feeder posts, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the ad hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules : Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ac hoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By Order,

Principal Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Tpt-B(6)-1/2000
Government of Himachal Pradesh
Department of Transport

From:

Principal Secretary(Transport) to the
Government of Himachal Pradesh

To

The Director of Transport
Himachal Pradesh, Parivahan Bhawan,
Shimla-171004.

Dated:- Shimla-02 the 16th November, 2013

Subject:- Regarding fixing of promotional quota of Regional Transport Officer(RTO) to HAS/HAS Allied Services and departmental candidate(Ratio 50:50).

Sir,

I am directed to address you on the subject cited above and to say that the matter was placed before the Cabinet in its meeting held on 09.11.2013. The Council of Ministers has fixed/approved promotional quota of Regional Transport Officers from HAS/Departmental candidate in ratio of 60:40 respectively as per following advice of Department of Personnel:-

"The posts of Regional Transport Officers may be bifurcated between HPAS and Departmental Officers of Transport Department in the ratio of 60:40 i.e. 60% posts or to say 8 posts to HPAS officers(i.e. (i) Joint Commissioner-cum-RTO, H.Q, Shimla, (ii) RTO Shimla, (iii) RTO, Mandi, (iv) RTO, Kangra,(v) RTO,(FS) Kangra (vi) RTO, Hamirpur (vii) RTO, Solan, (viii) RTO, Kullu and rest 40% posts (i.e. (i) RTO, Una (ii) RTO, Bilaspur (iii) RTO, Chamba (iv) RTO, Nahan (v) RTO (FS) Kullu) may be given to the departmental officers of Transport Department."

You are requested to kindly send your proposal to this department in this regard immediately for making necessary provision/ amendment in the existing R&P Rules of RTOs notified vide Notification No-TPT-KHa(2)-1/96 dated 10th April, 2008.

Yours faithfully,

(Amitabh Avasthi)
Special Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh